उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1983

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31, 1983)

THE UTTAR PRADESH DACOITY AFFECTED AREAS ACT, 1983

(U.P. Act No. 31 of 1983)

उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1983[1]

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31, 1983]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 7 सितम्बर 1983 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 12 सितम्बर 1983 की बैठक में स्वीकृत किया।

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति महोदय ने दिनांक 12 अक्टूबर, 1983 को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेश सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 13 अक्टूबर 1983 को प्रकाशित हुआ।]

उत्तर प्रदेश के डकैती प्रभावित क्षेत्रों में कतिपय अपराधों कों विनिर्दिष्ट करने के लिये जिससे अनुसूचित अपराधों का किया जाना प्रभावकारी ढ़ंग से दबाया जा सके और उनके सम्बंध में दण्ड और शीघ्र विचारण का उपबंध करने के लिये और ऐसे अपराध कार्य द्वारा अर्जित की गयी सम्पत्तियों की कुर्की के लिए और उनसे सम्बद्ध या आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए

अधिनियम

चूंकि डाकुओं के संगठित और असंगठित गिरोहों के खतरे को प्रभावकारी ढंग से दबाने के लिये यह आवश्यक है कि ऐसे गिरोहों के सहायक या सहचर निहित स्वार्थों की कड़ी को समाप्त किया जाय और प्रभावकारी ढंग से उन्हें दबाया जाये और उन पर नियन्त्रण किया जाय ;

और, चूंकि, यह आवश्यक है कि डकैती से प्रभावित क्षेत्रों में कतिपय अनुसूचित अपराधों के लिये अधिक कड़े दण्ड का उपबन्ध किया जाय ;

और, चूंकि, अनुसूचित अपराध कार्य द्वारा विपुल सम्पत्ति डाकुओं के संबंधियों, साथियों और विश्वासपात्र व्यक्तियों के नाम धारण की जा रहीं है और यह आवश्यक है कि ऐसी सम्पत्ति की कुर्की और जब्ती के लिये उपबन्ध किया जाय।

भारत गणराज्य के चौतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1983 कहा जायगा।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह दिनांक 22 अक्टूबर, 1981 से प्रवृत्त समझा जाएगा।

परिभाषायें

2–इस अधिनियम में,–

(क) "डकैती प्रभावित क्षेत्र" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन इस रूप में घोषित क्षेत्र से है;

---

1. उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए उत्तर प्रदेशीय असाधारण गजट दिनांक 6 मार्च 1982 देखिये।

(ख) किसी डकैती प्रभावित क्षेत्र के सम्बन्ध में, "अनुसूचित अपराध" का तात्पर्य इस अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट उस अपराध से है जो किसी अनुसूचित अपराधी द्वारा किया जाता है ;

(ग) "अनुसूचित अपराधी" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो लूट या डकैती उसी रूप में या किसी अनुचित अपराध से इस प्रकार संसक्त रूप में, कि वे एक ही संव्यवहार के भाग हों चाहें वे उसी समय और स्थान पर या विभिन्न समयों और स्थानों पर घटित हुए हों, करता है या किया है या करने का या करने के प्रयास का अभियुक्त है ;

(घ) किसी डकैती प्रभावित क्षेत्र के सम्बन्ध में "सेशन न्यायाधीश" का तात्पर्य –

(एक) जहां ऐसे क्षेत्र में एक जिला या उसका भाग हो, वहां, यथास्थिति, ऐसे जिले या उसके भाग में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले सेशन न्यायाधीश से है;

(दों) जहां ऐसे क्षेत्र में दो या अधिक जिले या उनका भाग हो वहां ऐसे सेशन न्यायाधीश से है जिसे उस क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए इस निमित्त उच्च न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय ;

(ङ) "विशेष न्यायालय" का तात्पर्य धारा 5 के अधीन गठित न्यायालय से है;

(च) "विशेष न्यायाधीश" का तात्पर्य विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिये धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त न्यायाधीश से है ;

(छ) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में परिभाषित शब्दों और पदों के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उक्त संहिता में उनके लिए दिये गये है।

अध्याय–दो

डकैती प्रभावित क्षेत्र और विशेष न्यायालयों का गठन

डकैती प्रभावित क्षेत्र की घोषणा

3–यदि किसी जिले या जिलों या उसके किसी भाग या भागों में अनुसूचित अपराधों की घटना के संबंध में किसी पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य सूचना प्राप्त होने पर, राज्य सरकार का यह विचार हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है जिसमें ऐसे जिले या जिलों या उनके भाग या भागों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र को इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ डकैती प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिये तो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे क्षेत्र को डकैती प्रभावित क्षेत्र घोषित कर सकती है ।

पुलिस की सहायता करने वाला व्यक्ति लोक सेवक होगा

4–(1) किसी ऐसे व्यक्ति को जो किसी अनुसूचित अपराध के किये जाने के संबंध में सूचना देने में पुलिस की सहायता करता है या ऐसा अपराध के किये जाने के संबंध में सूचना देने या उसके अन्वेषण में पुलिस की सहायता के लिये लगाया गया है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जायगा।

(2) पुलिस अधीक्षक का इस आशय का प्रमाण–पत्र कि उसमें उल्लिखित व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए पुलिस की सहायता करता है या सहायता करने में लगाया गया है, उसमें वर्णित तथ्यों का निश्चायक सबूत होगा।

विशेष न्यायालयों का गठन

5–(1) किसी डकैती प्रभावित क्षेत्र में किये गये अनुसूचित अपराधों के शीघ्र विचारण के लिए, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा, उतने विशेष न्यायालयों का गठन कर सकती है जितने ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट ऐसे डकैती प्रभावित क्षेत्र या क्षेत्रों में या उनके संबंध में आवश्यक हों।

(2) विशेष न्यायालय में एक न्यायालय होगा जिसे उच्च न्यायालय द्वारा सेवारत सेशन न्यायाधीशों या अपर सेशन न्यायाधीशों में से नियुक्त किया जायगा।

स्पष्टीकरण–इस उपधारा में, शब्द "नियुक्त" का वही अर्थ होगा, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 9 के स्पष्टीकरण में उसके लिये दिया गया है ।

विशेष न्यायालयों की अधिकारिता

6–(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी अनुसूचित अपराध का विचारण केवल विशेष न्यायालय द्वारा किया जायगा ।

(2) किसी अनुसूचित अपराध का विचारण करने में, विशेष न्यायालय अनुसूचित अपराध से भिन्न किसी ऐसे अपराध का भी विचारण कर सकता है जिसका आरोप किसी अनुसूचित अपराधी पर तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उसी विचारण में लगाया जाय।

विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियां

7–(1) कोई विशेष न्यायालय किसी अनुसूचित अपराध का संज्ञान कर सकता है, –

(क) उन तथ्यों का जिनसें ऐसा अपराध बनता हो परिवाद प्राप्त होने पर ;

(ख) ऐसे तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर ;

(ग) पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति से प्राप्त सूचना या स्वयं अपने इस ज्ञान पर कि ऐसा अपराध किया गया है :

परन्तु इस अधिनियम के अधीन किसी विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय समस्त मामले जो किसी डकैती प्रभावित क्षेत्र में इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक के ठीक पूर्व किसी न्यायालय में लम्बित हों, ऐसे मामलों पर अधिकारिता रखने वाले विशेष न्यायालय को अन्तरित हो जायेंगे और उनके संबंध में इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही की जायगी और उनका निस्तारण किया जायगा।

(2) कोई विशेष न्यायालय, किसी अनुसूचित अपराध का विचारण करते समय, जहां तक हो सके, उसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो सेशन के मामलों में विचारण के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 द्वारा उपबन्धित की गयी है :

परन्तु विशेष न्यायालय, जहां कहीं आवश्यक हो, उक्त संहिता की धारा 207 के अधीन मजिस्ट्रेट के कृत्यों का सम्पादन करेगा और मामले की विचारण की कार्यवाही इस प्रकार करेगा मानों वह मामला ऐसी संहिता के उपबन्धों के अधीन विचारण के लिये सेशन न्यायालय को सुपुर्द किया गया है ।

(3) इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्ध, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों पर लागू

होंगे और उक्त संहिता के उपबंधों के प्रयोजनों के लिये विशेष न्यायालय को सेशन न्यायालय समझा जायेंगा और विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन संचालित करने वाले व्यक्ति को लोक अभियोजक समझा जायगा।

(4) विशेष न्यायालय इस दृष्टि से कि किसी व्यक्ति का साक्ष्य अभिप्राप्त करना है, जो किसी अनुसूचित अपराध में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सम्बद्ध या संसर्गित माना जाय, उस व्यक्ति को इस शर्त पर क्षमा प्रदान कर सकेगा कि वह अपराध के संबंध में और उसके किए जानें में, चाहें कर्ता, या दुष्प्रेरक के रूप में सम्बद्ध प्रत्येक अन्य व्यक्ति के सम्बन्ध में सब परिस्थितियों की जो उसके ज्ञान में हो, पूर्ण और सत्य रूप से प्रकट कर देता है और इस प्रकार प्रदान की गयी क्षमा उक्त संहिता की धारा 308 के प्रयोजनों के लिये उसकी धारा 307 के अधीन प्रदान की गयी क्षमा समझी जायेगी ।

(5) कोई विशेष न्यायालय किसी अभियुक्त को सिद्धदोष पाकर विधि द्वारा प्राधिकृत कोई दण्डादेश उस अपराधी को दण्डित करने के लिये दे सकता है, जिसके लिए उसे सिद्धदोष पाया गया है ।

विशेष न्यायालयों की अधिकारिता

8–दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी –

(क) इस अधिनियम के अधीन सभी अपराधों का विचारण केवल उस क्षेत्र के लिए जिसमें अपराध किया गया है, गठित विशेष न्यायालय द्वारा या जहां ऐसे क्षेत्र के लिए एक से अधिक विशेष न्यायालय हो, वहां उनमें से किसी ऐसे एक के द्वारा किया जायगा जिसे उच्च न्यायालय के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए, सेशन न्यायाधीश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाय;

(ख) जहां विशेष न्यायाधीश का पद रिक्त हो या विशेष न्यायाधीश अनुपस्थित हो या कार्य करने में असमर्थ हो, वहां सेशन न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए, किसी आवश्यक आवेदन–पत्र का, जो दिया जाय या दिया जा सकता है या ऐसे विशेष न्यायाधीश के समक्ष लम्बित हो, निस्तारण कर सकता है या किसी अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश द्वारा या यदि कोई अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश न हो तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निस्तारित करने का प्रबंध कर सकता है और प्रत्येक ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को किसी ऐसे आवेदन–पत्र पर कार्यवाही करने की अधिकारिता होगी।

मामलों का अन्तरण

9–किसी एक विशेष न्यायालय से दूसरे विशेष न्यायालय को मामलों का अन्तरण करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 406, 407 और 408 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

जमानत के संबंध में विशेष उपबन्ध

10–दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, किसी अनुसूचित अपराध के अभियुक्त या सिद्धदोष व्यक्ति को, यदि वह अभिरक्षा में हों, जमानत पर या उसके निजी बंध–पत्र पर तब तक छोड़ा नहीं जायगा जब तक कि ––

(क) अभियोजन पक्ष को जमानत के आवेदन–पत्र का विरोध करने का अवसर न दिया जाय ; और

(ख) जहां अभियोजन पक्ष जमानत के आवेदन–पत्र का विरोध करता है वहां न्यायालय का समाधान न हो जाय कि यह विश्वास करने के लिये युक्तियुक्त आधार है कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं हैः

परन्तु किसी अनुसूचित अपराध के अभियुक्त को, जो कुल एक सौ अस्सी दिन की अवधि के लिए, अभिरक्षा में रहा है, ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए, जिन्हें न्यायालय आरोपित करना उचित समझे, जमानत पर छोड़ा जा सकता हैः

परन्तु यह और कि कोई ऐसा व्यक्ति, जैसा कि पूर्ववर्ती परन्तुक में निर्दिष्ट किया गया है, इस प्रकार छोड़ा नहीं जायगा ––

(एक) यदि उसे पहले किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जा चुका है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या सात वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दण्डनीय है ;

(दो) यदि उसे पहले से अजमानतीय और संज्ञेय अपराध के लिये दो या अधिक अवसरों पर दोषसिद्ध किया जा चुका है ; या

(तीन) यदि उसने जमानत की किसी शर्त का जिसके अधीन रहते हुए उसे छोड़ा गया था, उल्लंघन किया है।

गिरफ्तारी के पश्चात अभिरक्षा के संबंध में विशेष उपबन्ध

11–(1) किसी अनुसूचित अपराध के सम्बन्ध में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 167 की उपधारा (2) के परन्तुक के खंड (क) के उपबन्ध इस उपान्तर के साथ लागू होंगे, मानो नब्बे दिन के निर्देश के स्थान पर एक सौ अस्सी दिन का निर्देश रखा गया हो।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 167 की उपधारा (2) के परन्तुक के खण्ड (ख) के उपबंध किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू नही होंगे, जिसे किसी अनुसूचित अपराध के लिये गिरफ्तार किया जाय, यदि ऐसे व्यक्ति को, ऐसी गिरफ्तारी के पश्चात् मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था और ऐसे व्यक्ति को अभिरक्षा में निरूद्ध करने का प्रारम्भिक आदेश ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया था, जिसके समक्ष वह पेश किया गया था और अन्वेषण अधिकारी अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से यह समझे कि लोंक व्यवस्था के हित में ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना समीचीन नहीं है।

अध्याय–तीन

अपराध और शास्ति

लोक सेवक के विरुद्ध अपराध के लिए दण्ड

12–जो कोई किसी लोक सेवक के या उसके कुटुम्ब के, किसी सदस्य के व्यक्ति के प्रति अनुसूचित अपराध करता है , ––

(क) यदि ऐसा अपराध भारतीय दण्ड संहिता के अधीन मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय है उसी दण्ड से दण्डित किया जायगा जो उस अपराध के लिए उक्त संहिता में उपबन्धित है ; और

(ख) अन्य मामलों में, कारावास से, जो दस वर्ष तक का हो सकता है और जूर्माने से, दंडित किया जायगा।

स्पष्टीकरण–इस धारा और धारा 13 के प्रयोजनों के लिये किसी लोक सेवक के कुटुम्ब के सदस्य का तात्पर्य उसके माता–पिता, उसकी पत्नी या उसका पति, उसके पुत्र और पुत्रियां, पौत्र और पौत्रियां और प्रपौत्र और प्रपौत्रियां और उनके पति या उनकी पत्नियों से है और इसके अन्तर्गत ऐसे लोक सेवक पर आश्रित और उनके साथ रहने वाला कोई व्यक्ति भी है ।

13–दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 354 की उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, जब इस अधिनियम के अधीन दोषसिद्धि, एक से अधिक व्यक्तियों की या किसी लोक सेवक या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य की हत्या के लिए हो और मृत्यु का दण्डादेश न दिया जाय, तब निर्णय में मृत्यु दण्ड न देने के लिए विशेष कारणों का कथन किया जायेगा ।

मृत्यु दण्ड न देने के लिए कारण अभिलिखित किये जायेंगे

14–कोई व्यक्ति जो किसी अनुसूचित अपराध को करता है, यदि उस अपराध के लिये भारतीय दण्ड संहिता में कोई विनिर्दिष्ट दण्ड उपबन्धित नही है और वह अपराध धारा 12 के अधीन भी दण्डनीय नही है, वहाँ उसे कारावास से, जो दस वर्ष तक का हो सकता है और जुर्माने से, दण्डित किया जायगा।

अनुसूचित अपराधों के लिए साधारणतः दण्ड

15–जहां किसी डकैती प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले किसी व्यक्ति के कब्जे में उस क्षेत्र में या उत्तर प्रदेश में अन्य ऐसी सम्पत्ति पायी जाय जिसके लिये वह कोई संतोषप्रद कैफियत न दे सके और जिसे किसी अनुसूचित अपराध कार्य के द्वारा या उसके परिणामस्वरूप अर्जित किया गया है, वहां उसे कारावास से जो सात वर्ष तक का हो सकता है और जुर्माने से, दण्डित किया जायगा।

ऐसी सम्पत्ति को, जिसके बारे में संतोषप्रद कैफियत न दी जा सके, कब्जे में रखने के लिए दण्ड

16–धारा 14 और 15 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी अनुसूचित अपराध के लिए न्यूनतम दण्ड तीन वर्ष का कारावास होगा।

कारावास की न्यूनतम अवधि

अध्याय–चार

सम्पत्ति की कुर्की और निर्मुक्ति

17–(1) यदि जिला मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण हो कि डकैती प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले किसी व्यक्ति ने धारा 15 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया है तो वह इस आशय की घोषणा कर सकता है और उस सम्पत्ति की जिसके सम्बन्ध में ऐसा अपराध किये जाने का विश्वास हो, कुर्की का आदेश दे सकता है।

सम्पत्ति की कुर्की

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित, उपधारा (1) के अधीन की गयी प्रत्येक कुर्की पर लागू होंगे।

(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी जिला मजिस्ट्रेट उपधारा (1) के अधीन कुर्क की गई किसी सम्पत्ति का प्रशासक नियुक्त कर सकता है और प्रशासक को ऐसी सम्पत्ति के सर्वोत्तम हित में उनका प्रशासन करने की सभी शक्तियां होंगी।

(4) जिला मजिस्ट्रेट ऐसी सम्पत्ति के समुचित और प्रभावी प्रशासन के लिए प्रशासक को पुलिस सहायता की व्यवस्था कर सकता है।

(5) सम्पत्ति के प्रशासन पर उपगत व्यय, जिसके अन्तर्गत उपधारा (4) के अधीन पुलिस सहायता से सम्बन्धित व्यय भी है, सम्बद्ध सम्पत्ति पर भार होगा।

18–(1) जब धारा 17 के अधीन सम्पत्ति कुर्क की जाय, तब उसका स्वामी कुर्की की जानकारी होने के दिनांक से तीन मास के भीतर जिला मजिस्ट्रेट को अभ्यावेदन कर सकता है जिसमें यह दिखाया जायगा कि किन परिस्थितियों में और किन साधनों से वह सम्पत्ति उसकें द्वारा अर्जित की गयी थी।

सम्पत्ति की निर्मुक्ति

(2) यदि जिला मजिस्ट्रेट का उपधारा (1) के अधीन किये गये अभ्यावेदन से समाधान हो जाय तो वह सम्पत्ति को कुर्की से तत्काल निर्मुक्त कर सकता है और तदुपरान्त सम्पत्ति, यदि कोई लाभ हुआ हो तो उसके सहित, सम्पत्ति पर भारित सभी व्ययों को काटने के पश्चात् उसके स्वामी में निहित हो जायगी।

सम्पत्ति के अर्जन के स्वरूप के बारे में विशेष न्यायालय द्वारा जांच

19–(1) यदि जिला मजिस्ट्रेट का धारा 18 के अधीन किये गये अभ्यावेदन से समाधान न हो तो वह मामले को अपनी रिपोर्ट के साथ अधिकारितायुक्त विशेष न्यायालय को यह विनिश्चय करने के लिए निर्दिष्ट करेगा कि वह सम्पत्ति या उसका कोई भाग किसी ऐसे अनुसूचित अपराध कार्य के द्वारा या उसके परिणामस्वरूप तो अर्जित नहीं की गई थी।

(2) उपधारा (1) के अधीन निर्देश प्राप्त होने पर विशेष न्यायालय जांच के लिए कोई दिनांक निश्चित करेगा और उसकी नोटिस अभ्यावेदन करने वाले व्यक्ति और राज्य सरकार को देगा । इस प्रकार निश्चित दिनांक को , या किसी अनुवर्ती दिनांक को जब तक के लिए जांच स्थगित की जाय, विशेष न्यायालय पक्षकारों की सुनवाई करेगा, उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य ग्रहण करेगा, ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य लेगा जैसा वह आवश्यक समझे और निर्देश के संबंध में विनिश्चिय करेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन जांच के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय को निम्नलिखित विषयों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद पर विचार करते समय सिविल न्यायालय की शक्तियां होगी, अर्थातः–

(क) किसी व्यक्ति को समन कराना और उसे हाजिर कराना और शपथ पर उसका परीक्षण करना ;

(ख) दस्तावेजों का पता लगाने और उन्हें प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना ;

(ग) शपथ–पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना ;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से कोई सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रति अधियाचित करना ;

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना ;

(च) किसी व्यतिक्रम के लिए निर्देश को खारिज करना या उसे एक पक्षीय विनिश्चित करना ;

(छ) व्यतिक्रम के लिए खारिज करने के आदेश या अपने द्वारा पारित एक पक्षीय आदेश को अपास्त करना ;

(ज) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाय।

(4) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में किसी बात के होते हुए भी इस धारा के अधीन किसी कार्यवाही में, यह साबित करने का भार कि धारा 18 के अधीन अभ्यावेदन में उल्लिखित सम्पत्ति या उसका कोई भाग किसी अनुसूचित अपराध कार्य के द्वारा या उसके परिणाम स्वरूप अर्जित नहीं किया गया था, सम्पत्ति पर दावा करने वाले व्यक्ति पर होगा।

सम्पत्ति का अधिहरण

20–यदि विशेष न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सम्पत्ति किसी अनुसूचित अपराध कार्य के द्वारा या उसके परिणामस्वरूप अर्जित की गई थी तो वह उक्त सम्पत्ति के अधिहरण का आदेश देगा और अपने आदेश के निष्पादन के लिए अभिलेखों को जिला मजिस्ट्रेट को भेजेगा और किसी अन्य मामले में सम्पत्ति को तत्काल निर्मुक्त कर दिये जाने का आदेश दिया जायेगा।

अध्याय–पांच

अपील

21–इस अधिनियम के अधीन दिया गया कोई आदेश और किया गया कोई विनिश्चय आगे यथा उपबन्धित के सिवाय, अपीलीय नही होगा। **जब तक अन्यथा उपबंधित न हो कोई अपील नहीं की जायगी**

22–इस अधिनियम के अधीन किसी विशेष न्यायालय द्वारा किये गये विचारण में दोषसिद्ध कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। **दोषसिद्धि की अपील**

23–राज्य सरकार किसी मामले में लोक अभियोजक को, इस अधिनियम के अधीन विशेष न्यायालय द्वारा दिये गये दोषमुक्ति के किसी आदेश की अपील उच्च न्यायालय में प्रस्तुत करने का निदेश दे सकती है। **दोषमुक्ति की अपील**

24–(1) धारा 20 के अधीन किये गये विशेष न्यायलय के प्रत्येक विनिश्चय के विरूद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकेगी। **धारा 20 के अधीन आदेश के विरूद्ध अपील**

(2) उपधारा (1) के अधीन उच्च न्यायालय में की गयी प्रत्येक अपील में, उच्च न्यायालय या तो विनिश्चय की पुष्टि कर सकता है, उसे उलट सकता है, उसमे परिवर्तन या उपान्तर कर सकता है या यह निदेश दे सकता है कि विशेष न्यायालय द्वारा फिर से मामले की सुनवाई की जाय।

25–दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय उन्तीस (29) के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन संहित, धारा 22 या 23 के अधीन की गई प्रत्येक अपील पर लागू होंगे । **दण्ड प्रक्रिया संहिता के उपबन्ध अपील पर लागू होंगे**

अध्याय–छः

प्रकीर्ण

26–किसी सिविल न्यायालय को किसी ऐसे मामले के संबंध में अधिकारिता नहीं होगी, जिसे विशेष न्यायालय इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अवधारित करने के लिए सशक्त है और इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गयी या की जाने वाली किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में, सम्पत्ति की कुर्की या अधिहरण में हस्तक्षेप करने वाला कोई आदेश या अन्तर्वर्ती आदेश किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा नही दिया जायेगा । **सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन**

27–इस अधिनियम के अधीन किसी अनुसूचित अपराध के किसी विचारण में जहां यह साबित हो जाय कि —— **व्यपहरण और अपहरण के सम्बन्ध में उपधारणा**

(एक) अभियुक्त ने डकैती प्रभावित क्षेत्र से किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण किया है, वहां यह उपधारित किया जायगा कि अभियुक्त ने ऐसे व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण फिरौती के लिए किया है जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाय ;

(दो) अभियुक्त ने डकैती प्रभावित क्षेत्र से व्यपहृत या अपहृत किसी व्यक्ति को सदोष छिपाया है या परिरूद्ध किया है, वहां यह उपधारित किया जायगा कि अभियुक्त ने ऐसे व्यक्ति को यह जानते हुए छिपाया या परिरूद्ध किया है कि ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार व्यपहृत या अपहृत किया गया है, जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाय।

28–(1) राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी के विरूद्ध किसी ऐसे कार्य के लिये जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसरण में सद्भाव से किया गया हो या किये जाने के लिये आशयित हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी । **सद्भावना से किये गये कार्य का संरक्षण**

(2) धारा 17 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त प्रशासक के विरूद्ध कोई अभियोजन तब तक संस्थित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके लिये जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व स्वीकृति प्राप्त न कर ली गयी हो।

अधिनियम का अधिभावी प्रभाव

29–इस अधिनियम के उपबन्ध उससे असंगत किसी बात के तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में होते हुए भी प्रभावी होंगे।

नियम बनाने की शक्ति

30–राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।

निरसन और अपवाद

31–उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र (द्वितीय) अध्यादेश, 1983 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 25 सन् 1983

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश , के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

अनुसूची

[धारा 2 (ख) देखिये]

(एक) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 216–क, 302, 303, 304, 307, 308, 325, 326, 327, 329, 331, 333, 363, 364, 365, 368, 389, 386, 387, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 402 और 511 के अधीन दण्डनीय अपराध ;

(दो) फिरौती के लिये किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण ;

(तीन) फिरौती के लिये किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करने के लिये एकट्ठा होना या तैयारी करना, या प्रयत्न करना ;

(चार) डकैती डालने के लिये आयुध या गोला–बारूद या विस्फोटक पदार्थ बनाना या सुधारना या उनके बनाये जाने या सुधारने की प्रक्रिया का कोई भाग पूरा करना, उनका क्रय करना, विक्रय करना, कब्जे में रखना, व्ययन करना, सम्भरण करना या उन्हें ले जाना ;

(पाँच) डकैती डालने की तैयारी करने या डकैती डालने के प्रयोजन के लिये इकट्ठा हुए व्यक्तियों को या डकैती डालने के पश्चात् इकट्ठा हुए डाकुओं को खाद्य सामग्री, वस्त्र, संचार साधन, परिवहन और अन्य वस्तुओं का स्वेच्छया सम्भरण करना ;

(छः) किसी अपहरणकर्ता या व्यपहरणकर्ता को दी जाने के लिए फिरौती की धनराशि तय करने में मध्यस्थता करना या उन्हें फिरौती की धनराशि का भुगतान किये जाने के लिए प्रतिभू होना ;

(सात) डकैती डालने के लिए तैयारी करने वाले या डकैती डालने के प्रयोजन के लिए इकट्ठा हुए व्यक्तियों के लिये या डकैती डालने के पश्चात् इकट्ठा हुए डाकुओं के लिए गुप्तचरी करना ;

(आठ) ऊपर उल्लिखित समस्त या कोई अपराध करने वाले व्यक्तियों से लाभ प्राप्त करना।